

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-2

सं0-24/2018/1186/36-2-18-10(जी)/2018

लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-318/2006 नेशनल कम्पेन कमेटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया और अन्य एवं अवमानना वाद संख्या-52/2013 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-03-2018 के अनुपालन में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का सोशल आडिट कराये जाने के संबंध में सचिव, उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पत्र संख्या-773/भ0नि0बो0(1545)-18, दिनांक 30-05-2018 में प्राप्त उनके प्रस्ताव के दृष्टिगत विगत 03 वर्षों की अधिकतम व्यय वाली वर्षवार निम्नलिखित योजनाओं का सोशल आडिट किये जाने का एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है :-

वित्तीय वर्ष 2015-16

क्रम संख्या	योजनाओं का नाम
1	मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
2	शिशु हितलाभ योजना
3	मातृत्व हितलाभ योजना
4	निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना
5	आवासीय विद्यालय सहायता योजना
6	अन्त्येष्टि सहायता योजना
7	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

वित्तीय वर्ष 2016-17

क्रम संख्या	योजनाओं का नाम
1	मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
2	शिशु हितलाभ योजना
3	मातृत्व हितलाभ योजना
4	निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना
5	आवासीय विद्यालय सहायता योजना
6	अन्त्येष्टि सहायता योजना
7	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18

क्रम संख्या	योजनाओं का नाम
1	मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
2	शिशु हितलाभ योजना
3	चिकित्सा सुविधा योजना
4	मातृत्व हितलाभ योजना
5	निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना
6	आवासीय विद्यालय सहायता योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7	अन्त्येष्टि सहायता योजना
8	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
9	शिक्षा सहायता हेतु छात्रवृत्ति योजना

2- सोशल आडिट किये जाने के संबंध में विस्तृत गाइड लाइन एवं अन्य दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2018/1186/36-2-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर ।
- 2- ग्राम्य विकास अनुभाग-7, उ०प्र० शासन ।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, सोशल आडिट, सातवां तल, पी०सी०एफ० भवन, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 5- महा निदेशक, श्रम कल्याण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- सचिव, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय शंकर तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।